न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 59/2021 (धारा 75 भू राज0अधि0 1956) (RCMS No.2021/62)

1. दशरथ पुत्र रामजीत जाति धाकड निवासी वीरमपुरा (मृतक) जरिये कायम मुकामान

1/1 घूरी उर्फ भूरी
1/2 सियाराम
1/3 मोहना

पुत्रान स्व0 दशरथ जाति धाकड निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना दिनांक 19.3.2021

उपस्थितिः–

1. श्री हेमराज शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 26.12.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 19.3.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि पुराने बन्दोवस्ती खसरा नम्बर 2 मिन रकबा 20 बीघा ग्राम वीरमपुरा स्थित है। जिस पर अपीलान्ट पूर्वजों के समय से खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है एवं इसके शेष पश्चिमी रकबा पर अन्य खातेदारान व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी में खसरा नम्बर 2 मिन रकबा 61 बीघा 6 विस्वा का एक ही नम्बर दर्ज है तथा नक्शा किश्तवार में भी एक ही नम्बर दर्ज है। पुराने आराजी खसरा नम्बर 2 मिन रकबा 61 बीघा 6 विस्वा के नये बन्दोवस्त दौरान नवीन खसरा नम्बर 1/0.14, 2/0.33, 3/0.84, 4/0.61, 5/0.22, 6/0.38, 7/0.01, 8/0.37, 9/0.25, 10/0.22, 11/0.37, 12/0.25, 13/0.29, 14/0.28, 15/0.60, 16/0.50, 17/0.49, 18/0.03, 19/0.36, 20/0.20, 21/0.06, 22/0.12, 23/0.39, 24/0.01, 25/0.14, 26/0.22, 27/0.30, 28/0.22, 29/0.66, 30/0.08, 31/0.26, 32/0.38, 33/0.81, 34/0.28, 35/0.20, 136/0.08 बनाये गये है। पुराने बन्दोवस्ती नम्बरान में आराजी खसरा नंबर 1 तरफ उत्तर तथा 2 व 3 तरफ दक्षिण

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

स्थित है। खसरा नम्बर 1,2,3 का विभाजन नक्शा में खसरा नम्बर 1 व 2, 3 के मध्य सीधा रेखा से हो रहा है। इसी प्रकार पुराने नक्शा में खसरा नम्बर 2 व 3 का विभाजन उत्तर से दक्षिण रेखा में हो रहा है। तीनों ही खसरा नम्बर बहुत बडे है। नवीन बन्दोवस्त अनुसार भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तथा नक्शा किश्तवार में पुराने खसरा नम्बर 2 से रकबा 20 बीघा से खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 है0 अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। पुराने खसरा नम्बर 3 में से नये खसरा नम्बर 33 के सहारे मैड मिलान तरफ उत्तर खसरा नम्बर 44 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 45 रकबा 0.48 है0 तथा खसरा नम्बर 46 रकबा 0.41 अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अपीलान्ट के नाम ख0 न0 2 व 3 से बनाये गये खसरा नम्बर में से 1.96 है0 रकबा आता है शेष रकबा पुराने खसरा नम्बर जिसे अपीलान्ट के नाम दर्ज किया गया है। पुरानी आराजी खसरा नम्बर 1 से नवीन खसरा नम्बर 110/321/0.14, 111/0.34, 121/0.22, 122/0.11, 126/0.26, 127/0.21 का इन्द्राज अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किया गया है। जिससे अपीलान्ट को दिया गया। कुल रकबा 324 है0 बैठता है किन्तु खसरा नम्बर 1 मे से दिये गये खसरा नम्बर 110/321/0.14, 111/0.34, 121/0.22, 126/0.26, 127/0.21 है0 अपीलान्ट के कब्जे वाली पुरानी खसरा नम्बर 2 मिन रकबा 20 बीघा से बहुत दूर है तथा मौके कब्जे के हिसाब से मौके के विपरीत है। उक्त प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया था कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 20 बीघा से नवीन बने खसरा नम्बरान जो तरफ पूर्व में स्थित है उनमें से 20 बीघा रकबा अपीलान्ट के नाम दर्ज करने अथवा यदि पुराने खसरा नम्बर 2 व 3 से बने नये खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 33, 44, 45, 46 किये जाते है तो शेष रकबा इन नम्बरान के आस पास के नये नम्बरान से पूरा किया जावे, परन्तु तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र के तथ्य पूर्णतया सिद्व नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 पारित करते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2021 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र से ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि साविक खसरा नम्बर 2 रकबा 61 बीघा 0.06 बिस्वा के पूर्वी हिस्से में प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 2 मिन रकबा 20 बीघा पूर्वी हिस्सा इकचका है व हाल बन्दोवस्त से पूर्व ही काबिज काश्त में रहता चला आ रहा है। परन्तु हाल बन्दोवस्त में अपीलान्ट का रकबा साविक खसरा नम्बर 3 व 1 में से बने नम्बरान में से दे दिया है व पुराने खसरा नम्बर 3 से बने हाल

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

खसरा नम्बर 44, 45, 46 तथा साविक खसरा नम्बर 1 से बने हाल नं0 110/321, 111, 121, 122, 126, 127 देकर अपीलान्टान के 20.00 बीघा भूमि की पूर्ति करते हुये उनके खाते में दर्ज किये गये है। अपीलान्टान ने अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया था कि उसके खाते की भूमि पूर्व के 20 बीघा भूमि के स्थान पर दी जावे। साविक खसरा नम्बर 1 व 3 की भूमि उक्त भूमि से काफी दूर है, जो कि मौके के विपरीत है, प्रार्थी को दिये गये नम्बरान को उसके कब्जे के स्थान पर दर्ज कर दुरूस्त किया जावे तथा उसी के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे, परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को सही समझने में कानूनी भूल की है। प्रार्थीगण का विकल्प में यह भी कथन रहा है कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त वाली भूमि पर अन्य खातेदारान के अन्य नये नम्बर बना दिये है उन्हें अपीलान्टस के नाम करते हुये प्रार्थीगण के दूर दिये गये नये नम्बरान की खातेदारी, अन्य के नाम कर, राजस्व अभिलेख की दुरूस्ती की जा सकती है व नक्शे को उसी तरह सुधारा जा सकता है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रकरण को तय करने के लिये यदि अन्य काश्तकारों की भी सुनवाई किया जाना आवश्यक है तो उनको भी पक्षकार बनाकर तलब करने का आदेश दिया जाना चाहिऐ था। इन्द्राज दुरूस्ती के आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि आवेदक ने प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया है ? राजस्व रिकार्ड में लैण्ड रिकार्ड आफीसर के संज्ञान में त्रुटी आने पर उसे सही करने के लिये वह कानूनन बाध्य है। अन्य बिन्दुओं को आधार बनाकर प्रकरण समाप्त करके त्रुटी को अनदेखा कर छोडा नहीं जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 इस आधार पर भी निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु अपीलान्ट की ओर से दिनांक 31.03.2021 को आवेदन किया गया था। जिसकी नकल दिनांक 05.04.2021 को प्राप्त हुई। इसके बाद सम्पूर्ण लॉक डाउन होने के कारण अपील पेश करना संभव नहीं था। दिनांक 11.06.2021 को लॉक डाउन खुलने के बाद लॉक डाउन के समय को मुजरा करते हुये अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2021 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की भूमि साविक खसरा नंबर 2 मिन चक वीरमपुरा के अनुसार एक स्थान पर दी जाकर नक्शे में दुरूस्ती की जावे यदि आवश्यक हो तो उक्त भूमि से लगे हाल खसरा नम्बरान की खातेदारी की तबदीली आवश्यक समझी जावे तो जमाबन्दी में भी दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि प्रथम तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है और

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

26.12.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वितीय अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2021 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलान्ट की ओर से प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार बनाए बिना ही अदालत मातहत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतः असमर्थ रहने के कारण उप जिला कलक्टर बयाना द्वारा अपीलाधीन निर्णय स्पष्ट व स्पीकिंग पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 09.07.2021 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिर्जव रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु दिनांक 31.03.2021 को आवेदन करने, निर्णय की नकल दिनांक 05.04.2021 को प्राप्त होन, नकल प्राप्त होते ही सम्पूर्ण राज्य में लॉकडाउन लगने व दिनांक 11.06.2021 को लॉकडाउन खुलने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी विन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें यह अनुतोष चाहा गया कि पुराने खसरा नंबर 2 रकबा मिन 20 बिघा से बने हुए नये खसरा नम्बरान जो पूर्व की तरफ स्थित हैं। उनमें से 20 बीघा रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे तथा विकल्प में यदि पुराने खसरा नंबरान 2 व 3 से बने नये खसरा नम्बरान में से खसरा नंबर 33 रकबा 0.81

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

है0 खसरा नंबर 44 रकबा 0.26 है0 खसरा नंबर 45 रकबा 0.48 तथा खसरा नंबर 46 रकबा 0.41 है0 दिये जाते हैं तो शेष रकबा इन नम्बरान के आसपास के नये नम्बरान से पूरा किया जाकर प्रार्थी के नाम शुद्धि पत्र भरा जाकर जमाबन्दी में दर्ज करने की आज्ञा दी जावे। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार बयाना से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.09.2017 में यह उल्लेख किया कि ग्राम चक वीरमपुरा में पुराने खसरा नंबर 2 में 20 बीघा भूमि दशरथ पुत्र रामजीत कौम धाकड़ के नाम दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 25 पर खसरा नंबर 33/0.81, 44/0.26, 45/0.48, 46/0.41, 110/321/0.14, 111/0.39, 121/0.22, 122/0.12, 126/ 0.26 व 127/0.21 किता 10 रकबा 3.24 है0 भूमि घूरी उर्फ भूरी सियाराम मोहना पिसरान दशरथ कौम धाकड का राहीन बी.आर.के.जी.बी. शाखा वीरमपुरा दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त खातेदारान की पूर्व से काबिज होने की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रार्थीगण के द्वारा चकबीघी के नवीन खसरा नंबर 255/0.14, 255/919/0.52, 230/0.15, 231/0.22 व 232/0.18 किता 5 रकबा 1.21 है0 चक वीरमपुरा के नवीन खसरा नंबर 33/0.81, 44/0.26, 45/0.48, 46/0.41 किता 4 रकबा 1.96 है0 पर पूर्व से काबिज होना बताया गया है, परन्तु वर्तमान में चकबीघी के किता 5 रकबा 1.21 है0 पर काबिज नहीं है। शेष भूमि पर काबिज है। ग्राम चकबीघी व चक वीरमपुरा की सीमा में अन्तर संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विद्वान उप जिला कलक्टर बयाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2021 को पारित किया। जिसमें यह अभिमत दिया है कि प्रार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह शुद्धि खातेदारी रकबा में चाहता है अथवा नवीन रकबा में अथवा किस खसरा नम्बर में से कितना–कितना रकबा उसकी खातेदारी रकबा में दिया जावे। प्रभावित होने वाले खसरा नम्बरान का खातेदारान कौन–कौन हैं कहीं भी उल्लेख नहीं किया है और न ही इस तरह का कोई राजस्व अभिलेख ही प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में कहीं भी प्रभावित होने वाले खसरा नम्बरान के खातेदार को पक्षकार मुकदमा ही बनाया है। प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है। जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि भू अभिलेख अधिकारी का दायित्व है कि राजस्व रिकार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि नजर आने पर वह स्वप्रेरणा से या प्रभावित पक्षकार के आवेदन पर इन्द्राज दुरूस्ती करेगा, परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में न तो यह स्पष्ट किया गया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रवन्ध कार्यवाही के दौरान उसकी खातेदारी में स्थित कौन से खसरा नंबर की भूमि को किस खसरा नंबर की भूमि में कम या ज्यादा किया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि किस–किस

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

खसरा नंबर से कितनी–कितनी भूमि दिये जाने पर इन्द्राज दुरूस्ती या रकबे की पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में दो दादरसी अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई थी। जिनमें साविक खसरा नंबर 2 रकबा मिन 20 बीघा से बने हुए नये खसरा नंबर जो पूर्व की तरफ स्थित हैं को प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की आज्ञा दिये जाने तथा विकल्प में पुराने खसरा नम्बर 2 व 3 से बने नये खसरा नंबर 33, 44, 45, 48 व 46 में से रकबा दिये जाने व शुद्धि पत्र भरे जाने का अनुतोष चाहा है। जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत मानचित्र तथा क्षेत्रमिती के संधारण से संबंधित है तथा 136 गलतियों के शुद्धिकरण से संबंधित है। उक्त दोनों प्रावधानों के तहत अपीलान्ट अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहे हैं तथा तहसीलदार की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चकबीघी व चक वीरमपुरा की सीमा में अन्तर संबंधी विवाद उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2021 में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल धर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर